न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा जिला–जालोर
पीठासीन अधिकारी– श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. –05/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हरका पुत्र लालाजी जाति कलबी नि. पूरण 2. ठाकराराम पुत्र लालाजी जाति कलबी नि. पूरण 3. वेनाराम पुत्र लालाजी जाति कलबी नि. पूरण 4. राजाराम पुत्र लालाजी जाति कलबी नि. पूरण 5. श्रीमति टीपू धर्मपत्नि स्व. लालाजी जाति कलबी नि. पूरण 6. ओखाराम पुत्र नेथीराम जाति कलबी नि. पूरण 7. नारणाराम पुत्र नेथीराम जाति कलबी नि. पूरण 8. श्रीमति वदना धर्मपत्नि स्व. नेथीराम कलबी नि. पूरण 9. टीकमा पुत्र परखा जाति कलबी नि. पूरण		1. करमी पुत्र जानु जाति कलबी नि. पूरण 2. दौला पुत्र जानु जाति कलबी नि. पूरण 3. हरका पुत्र जानु जाति कलबी नि. पूरण 4. श्रीमान तहसीलदार जसवंतपुरा

प्रार्थना पत्र बाबत सीमांकन कर पत्थर गढी करने अंतर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः–28.6.2019**

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र बाबत सीमांकन कर पत्थर गढी करने अंतर्गत धारा "128 भू–राजस्व अधिनियम 1956" का प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरहद मौजा पूरण के पटवार हल्का पूरण भू.अभि.नि.क्षेत्र दॉतलावास तहसील जसवंतपुरा में प्रार्थीगण की संयुक्त काश्तकारी भूमि खसरा नं. 302 रकबा 0.09 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नं. 304 रकबा 0.97 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नं. 305 रकबा 0.72 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नं. 1462/309 रकबा 1.27 है0 किस्म बारानी सोयम एवं खसरा नं. 1463/310 रकबा 2.56 है0 किस्म बारानी सोयम आई हुई है। जिस पर कब्जाकाश्त एवं मालिकाना हक अधिकार एकमात्र प्रार्थीगण का है।प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पूर्वी दिशा में अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 299 रकबा 0.69, खसरा नं. 306 रकबा 1.32 है0, खसरा नं. 1464/298 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 1465/309 रकबा 1.29 है0 व खसरा नं. 1466/310 रकबा 2.09 है0 की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी व अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के बीच माठ स्थित है। अप्रार्थीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है व पूर्वी दिशा में स्थित माठ को तोडकर मेरी खातेदारी आराजी में घुसकर माठ को लेकर हमेशा बहानेबाजी कर झगडा करने पर उतारू रहते है। अप्रार्थीगण से परेशान होकर प्रार्थीगण की ओर से हरका राम ने दिनांक 8.5.2018 को उनकी खातेदारी खसरा नं. 302, 304, 305, 1462/309,1463/310 कुल रकबा 5.61 है0 पैमाइस हेतू आवेदन किया। जिस पर

उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जिला जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

श्रीमान तहसीलदार जसवंतपुरा ने क्रमांक/भू.अ/2018/1382 दिनांक 11.5.18 को पैमाइस हेतू राजस्व कार्मिकों की टीम गठित कर पैमाइस रिपोर्ट करने का आदेश दिया जिसकी अनुपालना में दिनांक 24.5.18 को मौके पर पैमाइस की जाकर सीमाज्ञान करवाया गया और उक्त मौका फर्द पर अप्रार्थीगण ने जानबूझकर हस्ताक्षर नहीं किये एवं उक्त सीमाज्ञान के बाद भी अप्रार्थीगण जिनको उक्त सीमाज्ञान की जानकरी होने के बावजूद हम प्रार्थीगण को तंग एवं परेशान करने के लिए बार–बार माठ को हमारी खातेदारी आराजी की ओर बढाने की कुचेष्टा कुचेष्टा कर रहे है। अतः माफिक कानून प्रार्थीगण के खसरा नं. 302, 304, 305, 1462/309,1463/310 की पत्थरगडढ़ी करवाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। यह कि पूर्वी माठ जो अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के खेत खसरा नं. 299, 306, 1464/298, 1465/309, 1466/310 से लगती हुई है जिससे अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के अलावा शेष अन्य दिशा की माठ के संबंध में प्राथीगण ने अपने अन्य दिशा के पडोसी खातेदार को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के कब्जाशुदा खातेदारी खेत खसरा नं. 302, 304, 305, 1462/309,1463/310 मौजा पूरण के पूर्वी माठ जो अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 लगायत के खातेदारी खेत खसरा नं.299, 306, 1464/298, 1465/309, 1466/310 से लगती हुई है। उक्त माठ पर पुलिस की निगरानी व पुलिस जाब्ता में पत्थरगडढ़ी करवाये जाने हेतू आदेश फरमावे।

अप्रार्थीगण 1,2 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें बताया कि जमाबंदी में अंकित रकबे का टीम द्वारा सही माप नहीं किया गया। जिससे हस्ताक्षर नहीं किये गये एवं रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार पत्थरगडडी सीमा पर की जाती है, तो स्वीकार है। क्योंकि नक्शा ख0न0 1466/310 में जमाबंदी व नक्शे में रकबा अंतर है। अतः न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे अनुसार पत्थरगडडी का आदेश दिया जाता है, तो स्वीकार है। बहस में अप्रार्थीगण वकील ने इन्हीं तथ्यों का दोहरान किया, जिस पर प्राथीगण वकील द्वारा रेकर्ड व नक्शे के मद्देनजर सीमांकन की बात स्वीकार की गई। ऐसी स्थिति में विवादित खसरों की पैमाइस कर पत्थरगडढ़ी करवायी जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, जिसमें बताया कि प्रार्थीगण के आवेदन पर तहसीलदार जसवंतपुरा के आदेशांक/भू.अ/2018/1382 दिनांक 11.5.18 को आवेदित आराजी की पैमाइस सर्वेदल गठित कर दिनांक 24.5.2018 को करवाई गई। जिसकी पैमाइस मौका रिपोर्ट दिनांक 24.5.2018 की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। संलग्न फोटोप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें दिनांक 24.5.2018 द्वारा मुस्तकिल बिंदु कायम करते हुए मौजा पूरण के खसरा नं. 302, 304, 305, 1462/309,1463/310 जुमले रकबा 5.61 है0 का चारों ओर की माठो का सीमांकन बताया गया। जिसमें आवेदक खातेदार संतुष्ट हुए परन्तु पडौसी खातेदार करमी, दौला, हरका पि. जानू संतुष्ट नहीं हुए एवं मौका फर्द पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया । मौके पर उत्तर दिशा के खातेदार श्री गणेशाराम पुत्र दलाजी कलबी द्वारा सीमाज्ञान से सहमति प्रदान की गई थी। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वी सीमा की माठ के विवाद विद्यमान होने की पुष्टि होती है।

अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेश दिया जाता है कि 15 दिवस में कमेठी गठन की जाकर प्रार्थीगण की आराजी मौजा पूरण के खसरा नं. 302, 304, 305, 1462/309,1463/310 जुमले रकबा 5.61 एवं पूर्वी माठ के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा नं.299, 306, 1464/298, 1465/309, 1466/310 कुल रकबा 5.62 है0 की भूमि में राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे को ध्यान में रखते हुए पैमाइस करवाई जाकर सीमांकन कर पत्थरगडडी करवाई जाये। कमेठी को निर्देशित करे कि वे दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू पैमाइस कर पत्थरगडडी की जाकर मौका फर्द तैयार करवाकर प्रस्तुत कराये। पैमाइस हेतू मौमिया नक्शा ट्रेस सहित नक्शा लठठा को साथ में रखकर पैमाइस करे। अतः इस आदेश की प्रति तहसीलदार जसवंतपुरा को

उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

पालना हेतू भेजी जावे। पत्रावली बाद तामिल तकमील फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाशचंद्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)